झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची– 834001

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि– 26/07/13	विज्ञापन	विज्ञापन संख्या– 05/2013

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 3/स्था0डी0–01–140/12–145(3) दिनांक– 15.01.2013 एवं पत्रांक– 3/स्था0डी0–01–140/12–542(3) दिनांक– 02.05.2013 के द्वारा चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) के पद पर बैकलॉग नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर विशेष परीक्षा के लिए इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित–प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प/परिपत्र के आलोक में विकलांग के उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण देय होगा ।

1. पद का नाम– चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) Medical Officer (Basic Cadre)
2. विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार पदों की संख्या इस विज्ञापन में निम्नवत है :–

क्र0सं0	कोटि	रिक्त पद	विकलांग के लिए आरक्षित पद
1.	अनुसूचित जाति	29	3%
2.	अनुसूचित जनजाति	07	
3.	पिछड़ा वर्ग– II	07	
4.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग– I	28	
	कुल	71	

(नोट :– स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार की अधियाचना के अनुसार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।)

3. वेतनमान – 9,300 से 34,800 (Grade Pay- 5400)
4. पद – स्थायी
5. परीक्ष्यमान अवधि :– 2 (दो) वर्ष
6. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता–

   I. **शैक्षणिक योग्यता** – आवेदक को भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 की उपाधि प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा आवेदक को चिकित्सक के रूप में निबंधन संख्या प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।

   II. अनुभव– आवेदक को मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से कम से कम एक वर्ष की इन्टर्नशिप प्राप्त होना आवश्यक होगी।

7. उम्र सीमा की संदर्भ तिथि :– 01.01.2013

   (क) न्यूनतम उम्र सीमा – 22 वर्ष

   (ख) अधिकतम उम्र सीमा – कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक–13026, दिनांक–27.11.12 के अनुसार :–

क्र0सं0	कोटि	अधिकतम उम्र	विकलांगों के लिए
1.	पिछड़ा वर्ग– II/ पिछड़ा वर्ग– I	37	42
2.	महिला (पिछड़ा वर्ग–II/ पिछड़ा वर्ग–I)	38	43
3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40	45

   (ग) राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मियों जिन्होंने लगातार तीन वर्षों की सरकारी सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष का छूट देय है।

8. **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :–**

(क) लिखित एवं मौखिक परीक्षाएँ आयोजित की जायेंगी।

(ख) लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा के प्राप्तांक को जोड़कर मेधासूची तैयार की जायेगी तथा संसूचित कोटिवार रिक्तियों के अनुरूप प्रशासी विभाग को नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के नाम अनुशंसित किये जायेंगे।

9. **लिखित परीक्षा :–**

लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति (Objective Type) मल्टीपुल च्वॉईस प्रकृति की होगी, जिसमें 100–100 अंक के चार पत्र निम्न प्रकार होगें एवं प्रत्येक पत्र के लिए दो घंटे का समय निर्धारित रहेगा। दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा अवधि प्रत्येक 1 घंटे पर 20 मिनट की अतिरिक्त समय देय होगा। दृष्टिहीन उम्मीदवार को निर्धारित परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व आयोग को सूचित करना अनिवार्य होगा जिससे वैसे उम्मीदवार के लिए परीक्षा केन्द्र में चयन में असुविधा न हो तथा उन्हे श्रुतिलेखक उपलब्ध कराया जा सके –:

I.	प्रथम पत्र	– औषधि (मेडिसिन) (सामान्य)	– 100 अंक	
II.	द्वितीय पत्र	– (क) शिशु रोग (पेडियाट्रिक्स)	– 40 अंक	100 अंक
		(ख) शिशु कल्याण एवं परिवार नियोजन सहित निवारक औषधि (प्रिवेन्टिव मेडिसिन) एवं सामुदायिक स्वास्थ्य	– 60 अंक	
iii.	तृतीय पत्र	– (क) शल्य चिकित्सा (सर्जरी) (सामान्य)	– 60 अंक	100 अंक
		(ख) ऑर्थोपेडिक सहित विकलांग विज्ञान (ऑर्थोपेडिक्स)	– 40 अंक	
iv.	चतुर्थ पत्र	– (क) आँख – 25 अंक; (ख) कान, नाक, गला – 25 अंक	– 50 अंक	100 अंक
		(ग) प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान	– 50 अंक	

नोट :– प्रत्येक चार गलत उत्तर के लिए प्राप्तांक से 1(एक) अंक की कटौती की जायेगी यानि कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती अभ्यर्थी के उस विषय के कुल अंक से की जायेगी।

10. संसूचित रिक्तियों के विरूद्ध लिखित परीक्षा मे सफल दो से ढाई गुणा उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) के लिए आमंत्रित किया जायेगा, परन्तु लिखित परीक्षा में कोटिवार निम्नांकित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा :–

पिछड़ा वर्ग– II	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग – I	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

11. **मौखिक परीक्षा :–**

कुल 40 अंक की होगी। साक्षात्कार में भी कंडिका 10 में दर्शायी गयी न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

12. **आरक्षण :–**

(क) आनलाइन आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ख) **आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को झारखण्ड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।**

(ग) **झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी जाति के हो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग–I/ पिछड़ा वर्ग–II के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से क्रमशः विभागीय पत्रांक– 5682 दिनांक– 22.10.2008 एवं विभागीय ज्ञापांक–10007 दिनांक– 29.08.2012 द्वारा निर्गत निर्धारित विहित प्रपत्र– I अथवा प्रपत्र– II में, की विवरणी ऑन लाईन आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रपत्र आयोग के बेवसाईट– www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।**

(घ) आवेदन के प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आरक्षण हेतु संलग्न विहित प्रपत्र– I/ प्रपत्र– II में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जिसे आयोग द्वारा अन्तर्वीक्षा के पूर्व प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द की दी जायेगी।

13. **परीक्षा शुल्क :–**

(क) पिछड़ा वर्ग– I एवं पिछड़ा वर्ग– II के लिए चलान द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के किसी भी शाखा के माध्यम से 500.00 रू0 परीक्षा शुल्क + 17.50 रू0 Online Application शुल्क + 50.00 रू0 बैंक चार्ज, कुल– 567.50 रू0 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 250.00 रू0 परीक्षा शुल्क + 17.50 रू0 Online Application शुल्क + 50.00 रू0 बैंक चार्ज, कुल– 317.50 रू0 देय होगा।

(ख) Offline Payment के लिए चालान आयोग के वेबसाईट– www.jpsc.gov.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकेगा।

(ग) चालान की एक प्रति "jpsc's copy" ऑन लाईन आवेदन पत्र के Printout (मुद्रित प्रति) के साथ मूल रूप में निश्चित रूप में संलग्न करें तथा तीसरी प्रति "depositor's copy" अपने पास सुरक्षित रखें।

(घ) विकलांगों को परीक्षा शुल्क में छूट है परन्तु ऑन लाईन शुल्क 17.50 रू0 एवं बैंक शुल्क 50.00 रू0 देय होगा।

14. **आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :–**

(क) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाईट www.jpsconline.gov.in पर Online Application System के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा। Online आवेदन स्वीकृत किये जाने के उपरान्त मुद्रित (Printout) आवेदन प्रपत्र की हस्ताक्षरित एक प्रति पेमेंट चालान के JPSC COPY के साथ आयोग के कार्यालय को **अंतिम तिथि–06, अगस्त, 2013 तक** निबंधित/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त कराया जाय।

(ख) आनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व, आवेदन कैसे करें, How to apply अवश्य पढ़ें।

(ग) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर Scan कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।

(घ) आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी (i) एम0बी0बी0एस0 डिग्री प्रमाण पत्र (ii) अंक पत्र (iii) मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से कम से कम एक वर्ष का इन्टर्नशिप का प्रमाण पत्र (iv) स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (v) उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष (vi) अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र (vii) अनुभव प्रमाण पत्र (viii) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र (ix) जाति प्रमाण पत्र आदि ऑन लाईन आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे तथा प्रमाण पत्र जाँच के क्रम में उपरोक्त की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(ड़) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र में जाँच के क्रम में प्रस्तुत करेंगे अन्यथा उनकी अभ्यर्थी रद्द कर दी जायेगी।

(च) ऑनलाईन आवदेन की मुद्रित प्रति भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद एवं कोटि का नाम मोटे अक्षरों में अवश्य अंकित करें।

(छ) ऑनलाईन आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा ।

(ज) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

15. **अंतिम तिथि :–**

(क) सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र Online Application System के माध्यम से **दिनांक– 26, जुलाई, 2013 को संध्या 5:00 बजे तक** समर्पित किया जायेगा तथा Printout आयोग कार्यालय को **दिनांक– 06, अगस्त, 2013 संध्या 5:00 बजे तक** निश्चित रूप से केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव/परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची– 834001 को अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

(ख) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। डाक से विलम्ब होने की स्थिति में इसकी जिम्मेवारी आयोग की नहीं होगी। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दी जायेगी।

ह0/- 27/06/13

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र–I

....
(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण पत्र
(सभी कार्यों के लिए)

संख्या :–................................ तिथि :–....................................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री.. निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला.. ....डाकघर...थाना..जिला...राज्य.............. ....अनुसूचित जाति */अनुसूचित जनजाति * श्रेणी के अन्तर्गत .... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जाति */अनुसूचित जनजाति * के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी...एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा..शहर..जिला...राज्य........................... ....में निवास करते हैं।

स्थान:–

तिथि:–

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम...

पदनाम.....................................

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जन जाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

प्रपत्र—II

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... ग्राम/शहर .... थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0(एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :–

तिथि :–

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम ....

पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

* झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।

** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, [illegible] दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008 4450 दिनांक 01.08.2011, 5826 दिनांक 19.09.2011, [illegible] दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक [illegible].2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची | **Bank's Copy** | भारतीय स्टेट बैंक

Jharkhand Public Service Commission, Ranchi | State Bank of India. Branch Code ____________

JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

Medical Officer (Basic Cadre) Backlog Recruitment-Spl. Exam-2013

Adertisement. No. –05/2013

SBI Branch Name: - ____________

SBI ACCOUNT NO.	3	3	0	8	2	7	6	6	7	6	8

SBI Branch Code: 12623

SBI JOURNAL NO. # / ☐☐☐☐☐☐☐☐

Day ☐☐ Month ☐☐ Year ☐☐☐☐

1. Name of Examination: - ____________

2. Name of the Candidate: - ____________

3. Tick Mark the Reservation Category: - Handicapped ☐
   General ☐ SC ☐ ST ☐ BC-I ☐ BC-II ☐

4. Fee :- (1) Examination Fee – Rs. ☐☐☐.00
   (2) Online Application Charges- Rs. *17.50
   (3) Bank Charges – Rs. *50.00
   (4) Total – Rs. ☐☐☐.☐☐

Total Amount (In Word):- Rs ____________

Note: - All printout of online application are to be submitted to JPSC, Ranchi by Speed Post/Registered Post only.

PM/SPM/Teller's Signature & Seal | Depositor's Signature

Note: - SBI BRANCHES TO CONTACT ON HELPLINE NO. 651-2561166, 9430730500, 9431587970 IN CASE ANY QUERY IN THIS REGARD.

Abbreviations used: -
BC-I – Backward Class-I,
BC-II – Backward Class-II,
SC – Scheduled Caste,
ST – Scheduled Tribe

* Strike out the option (s) not applicable.

Instruction for SBI Branches.

(i) Journal No. should be strictly mentioned at the appropriate place in challan.
(ii) "Advertisement No" should be fed into CB Screen under "Registration/Ref. No."
(iii) Name of candidate should be mentioned under Head "Name of the Candidate"

JPSC Website: - www.jpsc.gov.in OR www.jpscoas.sifyitest.com

झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची | **JPSC's Copy** | भारतीय स्टेट बैंक

Jharkhand Public Service Commission, Ranchi | State Bank of India. Branch Code ____________

JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

Medical Officer (Basic Cadre) Backlog Recruitment-Spl. Exam-2013

Adertisement. No. –05/2013

SBI Branch Name: - ____________

SBI ACCOUNT NO.	3	3	0	8	2	7	6	6	7	6	8

SBI Branch Code: 12623

SBI JOURNAL NO. # / ☐☐☐☐☐☐☐☐

Day ☐☐ Month ☐☐ Year ☐☐☐☐

1. Name of Examination: - ____________

2. Name of the Candidate: - ____________

3. Tick Mark the Reservation Category: - Handicapped ☐
   General ☐ SC ☐ ST ☐ BC-I ☐ BC-II ☐

4. Fee :- (1) Examination Fee – Rs. ☐☐☐.00
   (2) Online Application Charges- Rs. *17.50
   (3) Bank Charges – Rs. *50.00
   (4) Total – Rs. ☐☐☐.☐☐

Total Amount (In Word):- Rs ____________

Note: - All printout of online application are to be submitted to JPSC, Ranchi by Speed Post/Registered Post only.

PM/SPM/Teller's Signature & Seal | Depositor's Signature

Note: - SBI BRANCHES TO CONTACT ON HELPLINE NO. 651-2561166, 9430730500, 9431587970 IN CASE ANY QUERY IN THIS REGARD.

Abbreviations used: -
BC-I – Backward Class-I,
BC-II – Backward Class-II,
SC – Scheduled Caste,
ST – Scheduled Tribe

* Strike out the option (s) not applicable.

Instruction for SBI Branches.

(i) Journal No. should be strictly mentioned at the appropriate place in challan.
(ii) "Advertisement No" should be fed into CB Screen under "Registration/Ref. No."
(iii) Name of candidate should be mentioned under Head "Name of the Candidate"

JPSC Website: - www.jpsc.gov.in OR www.jpscoas.sifyitest.com

झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची | **Candidate's Copy** | भारतीय स्टेट बैंक

Jharkhand Public Service Commission, Ranchi | State Bank of India. Branch Code ____________

JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

Medical Officer (Basic Cadre) Backlog Recruitment-Spl. Exam-2013

Adertisement. No. –05/2013

SBI Branch Name: - ____________

SBI ACCOUNT NO.	3	3	0	8	2	7	6	6	7	6	8

SBI Branch Code: 12623

SBI JOURNAL NO. # / ☐☐☐☐☐☐☐☐

Day ☐☐ Month ☐☐ Year ☐☐☐☐

1. Name of Examination: - ____________

2. Name of the Candidate: - ____________

3. Tick Mark the Reservation Category: - Handicapped ☐
   General ☐ SC ☐ ST ☐ BC-I ☐ BC-II ☐

4. Fee :- (1) Examination Fee – Rs. ☐☐☐.00
   (2) Online Application Charges- Rs. *17.50
   (3) Bank Charges – Rs. *50.00
   (4) Total – Rs. ☐☐☐.☐☐

Total Amount (In Word):- Rs ____________

Note: - All printout of online application are to be submitted to JPSC, Ranchi by Speed Post/Registered Post only.

PM/SPM/Teller's Signature & Seal | Depositor's Signature

Note: - SBI BRANCHES TO CONTACT ON HELPLINE NO. 651-2561166, 9430730500, 9431587970 IN CASE ANY QUERY IN THIS REGARD.

Abbreviations used: -
BC-I – Backward Class-I,
BC-II – Backward Class-II,
SC – Scheduled Caste,
ST – Scheduled Tribe

* Strike out the option (s) not applicable.

Instruction for SBI Branches.

(i) Journal No. should be strictly mentioned at the appropriate place in challan.
(ii) "Advertisement No" should be fed into CB Screen under "Registration/Ref. No."
(iii) Name of candidate should be mentioned under Head "Name of the Candidate"

JPSC Website: - www.jpsc.gov.in OR www.jpscoas.sifyitest.com